18 लाख का राइस ब्रान ऑयल सीज

प्रयागराज। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने शुक्रवार को मिलावटी राइस ब्रान ऑयल से भरा टैंकर सीज कर लिया। इसकी कीमत 18 लाख रुपये बताई जा रही है। होली को लेकर 19 फरवरी से जिले में विशेष अभियान चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सहायक आयुक्त (खाद्य)- टू सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में टीम ने प्रयागराज की सीमाओं पर टूकों और टैंकरों की गहन जांच की। चेकिंग के दौरान एक टैंकर को रोककर राइस ब्रान ऑयल का नमूना लिया गया। संदेह के आधार पर टीम ने 15,068 किलोग्राम तेल को मौके पर ही सीज कर लिया। इसकी अनुमानित कीमत 18,11,927 रुपये बताई जा रही है। संवाद

समारोह में अधिवक्ताओं ने दिया भाईचारे का संदेश

प्रयागराज। हाईकोर्ट स्थित विभूवन उपाध्याय हाल में शुक्रवार को अधिवक्ता मनीष द्विवेदी की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य विविध रंगों के माध्यम से आपसी भाईचारे, सामंजस्य और सामाजिक एकता को मजबूत करना था। अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर और मिष्ठान खिलाकर होली की शुभकामनाएं दीं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाला पर्व है। इस दौरान पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार, आरएस चौधरी, संयुक्त सचिव प्रेस रामेश्वर दत्त पांडेय (आरडी), अधिवक्ता रामानंद पांडे, भूपेंद्र त्रिपाठी और सुशील तिवारी, दिलीप केशरवानी कोषाध्यक्ष राजीव शुक्ला, संतोष कुमार मिश्रा, गुरु प्रसाद मिश्रा, संदीप यादव, सतीश धुरिया आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

एनएसएस स्वयंसेवकों ने पर्यावरण और मतदान के प्रति किया जागरूक

प्रयागराज। झलवा स्थित केपी उच्च शिक्षा संस्थान में चल रहे सात दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन स्वयंसेवकों ने शुक्रवार को सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार पांडे ने स्वयंसेवकों को पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान के महत्व से अवगत कराया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने चयनित ग्राम कालिंदीपुरम में जनसंपर्क कर ग्रामीणों को पौधे लगाने का संकल्प दिलाया। वहीं, चकदादनपुर गांव में लोगों को जल बचाने और आगामी चुनावों में मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। संचालन एनएसएस अधिकारी डॉ. निधि मिश्रा और डॉ. अनिल कुमार ने किया। इस अवसर पर उप-प्राचार्य प्रदीप कुमार द्विवेदी, श्रीमती अनीता पांडेय और डॉ. अंकित सिंह सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। संवाद

सॉल्वर मामलों में डिजिटल साक्ष्यों के जरिये विवेचना को बनाएं मजबूत

यूपी बोर्ड के सचिव ने 18 जिलों के डीआईओएस को जारी किए विस्तृत निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामलों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने 18 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच केवल भौतिक साक्ष्यों तक सीमित न रहे, बल्कि डिजिटल साक्ष्यों को भी अनिवार्य रूप से संकलित कर विवेचना को मजबूत बनाया जाए।

सचिव ने आगरा, एटा, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, शाहजहांपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इटावा, कन्नौज, झांसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोंडा, मैनपुरी और गोरखपुर के डीआईओएस को सॉल्वर बैठाने की घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सॉल्वर के कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षक की संभावित मिलीभगत, ड्यूटी चयन प्रक्रिया और परीक्षा प्रारंभ होने के पहले 15 मिनट में फोटो मिलान की कार्रवाई की जांच की जाए। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाए कि केंद्र व्यवस्थापक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी या तथ्य छिपाने का प्रयास किया। गैंग के एजेंट की पहचान कर यह भी जांच करने को कहा गया है कि वे किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से पेपर लीक या सॉल्वर सिंडिकेट से तो नहीं जुड़े हैं।

फोटो मिलान और हस्ताक्षर सत्यापन पर सवाल

पत्र में पूछा गया है कि क्या मूल प्रवेश पत्र में फोटो सुपर इम्पोज या कंप्यूटर एडिटिंग से बदली गई। क्या केंद्र के प्रवेश द्वार पर प्रवेश पत्र और परीक्षार्थी के चेहरे का मिलान किया गया, उपस्थिति पत्रक व प्रवेश पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों का सत्यापन हुआ या नहीं, यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित कक्ष निरीक्षक या कर्मी की भूमिका स्पष्ट की जाए। सचिव ने निर्देश दिया है कि बोर्ड पोर्टल पर अपलोड मूल फोटो और प्रवेश पत्र पर चस्पा फोटो के मेटाडाटा की जांच की जाए। यह भी देखा जाए कि फोटो किसी एआई टूल या सॉफ्टवेयर से बदली तो नहीं गई।

अपहरण की अफवाह में बदला बाइक और बीएमडब्ल्यू कार की भिड़ंत का विवाद

प्रयागराज। करेली मार्केट में शुक्रवार दोपहर उस दौरान हंगामा हो गया, जब एक बीएमडब्ल्यू कार को रोककर चालक की पिटाई कर दी गई। हल्ला था कि चालक एक बच्चे का अपहरण कर अपने साथ ले जा रहा है। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं करता है। सूचना पर पुलिस पहुंची को पता चला कि एक बाइक के कार से टकराने के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद कार चालक बाइक सवार को कार में बिठाकर थाने ले जा रहा था, जिसका बाइक सवार विरोध कर रहा था। इससे कार बार-बार अनियंत्रित हो रही थी। इसी दौरान

कार सवार के थाने ले जाने के दौरान बाइक चालक खुद को छुड़ाने का करता रहा प्रयास

किसी ने घटना का वीडियो बनाते हुए बच्चे के अपहरण की बात कहकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। करेली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतरसुइया थाना क्षेत्र निवासी शेख शाकिब नमाज पढ़ने के बाद दरियाबाद स्थित कब्रिस्तान में अपनी मां की कब्र से होकर लौट रहे थे। गोल पार्क के पास जाम लगा होने के कारण उनकी कार के साइड के शीशे में कैफ अहमद की बाइक टकरा गई। शेख शाकिब ने इसका विरोध किया तो दोनों में विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कैफ ने शेख शाकिब को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद शाकिब अपनी कार में जबरदस्ती कैफ को बिठाकर थाने ले जाने लगे। इस दौरान कैफ विरोध करता रहा जिससे कार बार-बार अनियंत्रित हो रही थी। शाकिब ने कैफ से कहा कि अब थाने में ही कार के नुकसान और थप्पड़ मारने का हिसाब होगा। इस बीच राहगीरों की नजर पड़ी तो अफवाह फैल गई कि बच्चे का अपहरण किया गया है। करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि शेख शाकिब और कैफ दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और इनकी रंजिश चल रही है। दोनों के बयान दर्ज किए गए हैं, वीडियो बनाने वाले की पहचान की जा रही है। ब्यूरो

आरोही संस्कृति संगम करेगा नारीशक्ति सम्मान समारोह

प्रयागराज। सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संस्था आरोही संस्कृति संगम की साधारण बैठक शुक्रवार को श्रीकरा रामलीला कमेटी परिसर में हुई। बैठक में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए 'नारीशक्ति सम्मान समारोह' करने का निर्णय लिया गया। न्यायमूर्ति सुधीर नारायण अग्रवाल की अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि मनोज सक्सेना की उपस्थिति में शंभुनाथ श्रीवास्तव को सह-कोषाध्यक्ष, बीना मिश्रा को कार्यवाई अध्यक्ष और रमा त्रिपाठी को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत कर सम्मानित किया गया। संवाद

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

बोर्ड परीक्षा में सॉल्वर सिंडिकेट के असली सूत्रधार कौन, जांच की मांग

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में सॉल्वर सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। परिषद को शक है कि इस खेल के असली सूत्रधार कोचिंग संचालक, बिचौलिए और गिरोह के सरगना हैं, जो पर्दे के पीछे से पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। मामले को गंभीर मानते हुए परिषद के सचिव भगवती सिंह ने शुक्रवार को प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर पूरे नेटवर्क की गहन जांच और असली सरगनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश के दस से अधिक जिलों में अब तक 22 किशोर/युवक और सात किशोरियों को पंजीकृत परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि कुछ कोचिंग संचालक और सहायक अध्यापक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक प्रलोभन देकर विद्यार्थियों को सॉल्वर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा 12 मार्च तक प्रस्तावित है। इस बार परिषद ने परीक्षा केंद्रों पर वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों के साथ विस्तृत निगरानी व्यवस्था लागू की है। सचल दलों और एसटीएफ की सक्रियता से अब तक 22 से अधिक प्रकरण सामने आए हैं। एक केंद्र पर परीक्षा परिसर के बाहर उत्तरपुस्तिका लिखे जाने का मामला भी पकड़ा गया है। ब्यूरो

जार्जटाउन में दुकान पर चला पीडीए की बुलडोजर, हंगामा

प्रयागराज। जार्जटाउन में पीडीए की टीम ने शुक्रवार को थाने के बगल स्थित एक दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया। इससे वहां हंगामा हो गया। गुस्साए लोग जार्जटाउन थाने पहुंच गए। पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना या नोटिस के भवन को गिरा दिया गया। मामला बढ़ता देख मौके पर एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव टीम के साथ थाने पहुंचे। पीड़ित दुकानदार छोटे लाल मिश्र ने पीडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है। जार्जटाउन थाने के बगल स्थित एक मकान है। उक्त मकान में चार भाईयों चाय, समोसे, फोटो कॉपी की दुकान है। आरोप है कि शुक्रवार दोपहर पीडीए की टीम मौके पर पहुंची और मकान को ढहाना शुरू कर दिया। जब उनसे नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इन्कार किया और ना ही नोटिस दिखा पाए। उन पर रुपये मांगने को लेकर भी आरोप लगाया गया है। यह देख पार्षद आजाद स्वरूपा रितेष मिश्रा उर्फ आशु पंडित समेत अन्य लोग पीडीए अधिकारी संग थाने पहुंच गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनके मकान पर हाईकोर्ट से स्टे लेल रहा था। ब्यूरो

समरसता का संदेश देती रंगभरी एकादशी

प्रयागराज। रंगभरी एकादशी पर हर्षवर्धन नगर जागरूक समिति की मीरापुर स्थित हर्षवर्धन नगर में होली मिलन समारोह व होलिका दहन कमेटियों के साथ समन्वय बैठक हुई। कार्यक्रम में अबीर-गुलाल के साथ पारंपरिक होली खेली गई। समिति के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि सामाजिक समरसता और सौहार्द का प्रतीक है। भाजपा प्रवक्ता राजेश केसरवानी व समिति की महिला अध्यक्ष रचना वर्मा ने मर्यादित और प्राकृतिक रंगों से होली मनाने का आह्वान किया। संवाद

Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur 222003 (UP)
A State University established under Pradesh State (University Act, 1973) (Accredited A+by NAAC)
Email:connectpuregistrar@gmail.com Web: www.vbspu.ac.in

विज्ञापन संख्या-01/2026, दिनांक-24.02.2026
विज्ञापन संख्या-02/2026, दिनांक-24.02.2026
विज्ञापन संख्या-03/2026, दिनांक-24.02.2026

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर में शासन द्वारा सृजित विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18.03.2026 है। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय अधिकारिक वेबसाईट www.vbspu.ac.in पर उपलब्ध है। पत्रांक: 12086/वासप्रशा/2026 दिनांक-24.02.2026 कुलसचिव

तुम जियो हजारों साल...

अगर आपके 10 वर्ष तक के बच्चे का कल जन्मदिन है तो नाम व पते के साथ इसकी सूचना आज ही इसी मोबाइल नंबर 7617566162 पर शाम छह बजे तक हमें भेज दें। हम उसे निशुल्क प्रकाशित करेंगे।

भारत सरकार
सर्च–कम–सिलेक्शन कमेटी, विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी लिमिटेड
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है।
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि –
28 मार्च, 2026
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करें
https://powermin.gov.in एवं https://ntpc.co.in

सामूहिक विवाह से पहले हल्दी-संगीत

प्रयागराज। बैंक रोड स्थित राजर्षि टंडन सेवा केंद्र में शुक्रवार को 11 दिव्यांग बेटियों के सामूहिक विवाह से पूर्व हल्दी एवं संगीत संध्या का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम लोकसेवक मंडल, शेरवानी चैरिटेबल ट्रस्ट, अखिल भारतीय महिला परिषद और अनाम स्नेह परिवार के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। न्यायमूर्ति ने आयोजन को आत्मनिर्भरता का अभियान बताया। संवाद

प्रयागराज से हडपसर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

प्रयागराज। रेलवे प्रशासन ने पुणे के हडपसर के लिए प्रयागराज से सीधी ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। इसकी समय-सारिणी शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके अलावा रेलवे ने मुजफ्फरपुर से हडपसर एवं आनंद विहार-रांची स्पेशल की भी समय सारिणी जारी की गई है। प्रयागराज से हडपसर के लिए स्पेशल ट्रेन 04107 का संचालन प्रत्येक बुधवार चार मार्च से 25 मार्च तक सुबह 10:20 बजे होगा। ट्रेन वाया चित्रकूट, खजुराहो, ललितपुर, बीना, इटारसी, मनमाड़, कोपरगांव के रास्ते अगले दिन शाम 7:30 बजे हडपसर पहुंचेगी। ब्यूरो

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
(A Govt- of India Undertaking)
Where service is a way of life
आंचलिक कार्यालय– वाराणसी, पता: द्वितीय तल, एसएच–15/182 –एम–ए–2, एयरपोर्ट रोड, शिवपुर वाराणसी, ई–मेल : zo.varanasi@psb.bank.in
ई–नीलामी बिक्री सूचना (30 दिन) – बिक्री की तिथि 31.03.2026
ईएमडी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30/03/2026, सायं 04:00 बजे तक
बिक्री के लिए सम्पत्ति
website : baanknet.com, punjabandsind.bank.in

क्र0 सं0	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य जमा बयाना राशि बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	सम्पत्ति की छवि के लिए क्यूआर कोड	सेवा प्रदाता के लिए क्यूआर कोड
शाखा: सिविल लाइन्स, प्रयागराज						
1.	1. मेसर्स ममता ट्रेडर्स प्रो0 श्री आल्शेष कुमार जायसवाल पुत्र ओमकार नाथ जायसवाल निवासी 31/1/30/1 स्टेनली रोड सिविल लाइंस प्रयागराज (ऋणकर्ता) 2. श्रीमती ममता जायसवाल पत्नी श्री आल्शेष कुमार जायसवाल, निवासी 43ए/2 लोथर रोड, एमएलएन मेडिकल कॉलेज जॉर्ज टाउन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211002 (जमानतकर्ता) 3. श्री रामेश्वर प्रताप शाही पुत्र श्री श्याम बहादुर शाही 49 गंगापुरम देवरख नैनी प्रयागराज 211008 (जमानतकर्ता) खाता संख्या: 03401300002075 - 03401200000978	आराजी संख्या 999 के हिस्से पर बना मकान, स्थित मौजा-गरदौपुर, परगना एवं तहसील-सोरांव, प्रयागराज-211013, क्षेत्रफल: 630 वर्ग मी0। चौहद्दी: पूरब: फीट चौड़ी सड़क; पश्चिम- अन्य सम्पत्ति; उत्तर- मोहम्मद शफीक का मकान; दक्षिण- अन्य का मकान।	क्रम सं0 1 व 2 हेतु 167.04 लाख 16.70 लाख 0.1 लाख	31.03.2026 प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे		
2.	1. आल्शेष कुमार जायसवाल पुत्र श्री ओमकार नाथ जायसवाल निवासी 31/1/30/1 स्टेनली रोड सिविल लाइंस प्रयागराज। (ऋणकर्ता) 2. श्रीमती ममता जायसवाल पत्नी श्री आल्शेष कुमार जायसवाल, निवासी 43ए/2 लोथर रोड, एमएलएन मेडिकल कॉलेज जॉर्ज टाउन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211002 3. श्री रामेश्वर प्रताप शाही पुत्र श्री श्याम बहादुर शाही, निवासी 49 गंगापुरम देवरख, नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211008 खाता संख्या: 03401200000701		31.03.2026 प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे		भार का विवरण ज्ञात नहीं
3.	1. मेसर्स जियांश कंस्ट्रक्शन प्रो0 जितेंद्र प्रसाद निवासी 92 महेवा पूरब पट्टी एशीकल्चर इंस्टीट्यूट करछना प्रयागराज (ऋणकर्ता) 2. श्री जैनेंद्र प्रसाद निवासी 92 महेवा पूरब पटटी एशीकल्चर इंस्टीट्यूट करछना प्रयागराज (जमानतकर्ता) 3. श्री श्रीराम निवासी 92 महेवा पूरब पटटी एशीकल्चर इंस्टीट्यूट करछना प्रयागराज (जमानतकर्ता) खाता संख्या: 03401300002198; 03401200001134; 03401200001458	आराजी संख्या 207/2नि का कुछ हिस्सा, जो मौजा-महेवा पटटी पूरब, उपरहार, अरैल, जिला-इलाहाबाद में स्थित है, बुक संo 1, बॉल्यूम संo 3893 पृष्ठ 197-222 पर; क्रम संo 1514 पर एवं 23.02.2015 को पंजीकृत हुआ (प्लॉट क्षेत्रफल 395.17 वर्ग मी0) एवं आराजी संख्या 207मिन का कुछ हिस्सा, जो मौजा-महेवा पट्टी पूरब, उपरहार, अरैल, जिला-इलाहाबाद में स्थित है, बुक संo 1, बॉल्यूम संo 2727 पृष्ठ 59-94 पर; क्रम संo 3541 पर एवं 02.06.2012 को पंजीकृत हुआ (प्लॉट क्षेत्रफल 160.00 वर्ग मी0)	85.20 लाख 8.5 लाख 0.1 लाख	31.03.2026 प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे		भार का विवरण ज्ञात नहीं

दिनांक: 28.02.2026 स्थान: प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी– पंजाब एण्ड सिंध बैंक

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226007,
वेबसाइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com, ई–मेल : upefaspo@gmail.com
दूरभाष नं.–0522–4024440, 2780384, 2781128
विज्ञप्ति प्रेषण

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत समग्र शिक्षा, उ0प्र0, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति के अनुसार अस्थायी रूप से सृजित सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला परियोजना कार्यालय में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के निम्नलिखित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य, इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं –

क्रम सं0	पदनाम	सातवां वेतनमान	सातवें वेतनमान का लेवल	पद का प्रकार	रिक्त पदों की संख्या
1.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (राज्य परियोजना कार्यालय हेतु)	47600–151100	08	प्रतिनियुक्ति	02
2.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (जिला परियोजना कार्यालय हेतु)	47600–151100	08	प्रतिनियुक्ति	61

1. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
2. विज्ञापित पदों हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो निर्धारित वेतनमान अथवा इससे ठीक नीचे के वेतनमान में कार्यरत हों आवेदन हेतु अर्ह होंगे। किन्तु ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी को वेतन निर्धारण के फलस्वरूप मूल वेतन में रूपया 500/– से अधिक की वृद्धि अनुमन्य न होगी। प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में मूल विभाग में प्राप्त वेतनमान तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी परिलिखायां ही देय होंगे।
3. भारत सरकार/राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक अथवा किसी उपक्रम में कार्यरत नियमित/स्थाई कर्मचारी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
4. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर चयन के लिये वित्त/लेखा/ऑडिट के कार्य में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। टेली पैकेज की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
5. अभ्यर्थी यदि इससे पूर्व सर्व शिक्षा अभियान में सेवारत रह चुका हो तो उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 06 माह का अन्तराल (Cooling Period) नियमतः अवश्य होना चाहिए।
6. विज्ञापित पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम 05 वर्ष की नियन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0प्र0 शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर देय विभिन्न भत्ते अनुमन्य होंगे।
8. प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 03 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में 05 वर्ष होगी, परन्तु किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु **दिनांक 01.04.2026** को 05 वर्ष से कम शेष रह गयी है ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नही होंगे।
10. आवेदक को चयन/स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. समग्र शिक्षा (पूर्व शिक्षा अभियान) में कार्यरत रहने की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के पद की सेवा शर्तें लागू होंगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में अधिकारी/कर्मचारी को शासन की अनुमन्यता/उ0प्र0 सरकार के संचालित शासनादेश के अनुसार अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार वहन किया जायेगा।
12. जिस अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान है, अथवा जाँच में दोषी पाया गया है, आवेदन हेतु अर्ह नही होंगे। समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति की अवधि में उक्त स्थिति ज्ञात होने पर सम्बन्धित की प्रतिनियुक्ति की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
13. प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान किसी विभाग का संविलियन होने पर प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद उनका कोई दावा (Claim) स्वीकार्य नहीं होगा।
14. यदि सम्बन्धित कार्मिक के मूल विभाग में 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 7th Pay Commission की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
15. परियोजना के कार्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि इच्छुक अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की उत्कृष्ट दक्षता रखते हों तथा उन्हें कम्प्यूटर का भी सम्यक् ज्ञान हो। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की अभिरूचि एवं योग्यता भी रखते हों।
16. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा जाए।
17. आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **27.03.2026** है। किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि किसी अन्य माध्यम से आवेदन किया जाता है तो वह रद्द कर निरस्त समझा जायेगा।

पत्र व्यवहार का पता– राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् (समग्र शिक्षा) विद्यापीठ, निशातगंज, लखनऊ 226007. जानकारी हेतु – ई–मेल.आई.डी– upefaspo@gmail.com दूरभाष– 05224024541, 05224024667

18. अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु सूचना–स्थान, तिथि एवं समय के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
19. किसी भी स्तर पर चयन की कार्यवाही को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा में निहित होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम..... (स्वप्रमाणित फोटो)
2. आवेदक का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. जन्मतिथि.....
5. आयु (01.04.2026 को) ..... वर्ष ..... माह ..... दिन.....
6. श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग/सामान्य).....
7. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित.....
8. ई0मेल आई0डी0(कैपिटल लेटर में) एवं मोबाइल नम्बर .....
9. गृह जनपद.....
10. शैक्षिक योग्यता.....
11. अन्य प्रोफेशनल योग्यता / विशेषता आदि (यदि कोई हो तो).....
12. मूल विभाग का नाम .....
13. पद तथा वेतन .....
14. वेतनमान एवं वेतन लेवल .....
15. कुल परिलब्धि .....
16. अनुभव–

क्र0	अवधि (कब से कब तक)	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	वेतनमान

17. क्या पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्य किया गया है?– (हां/नहीं) यदि कार्य किया गया है तो पद–

क्र0	पद	अवधि (कब से कब तक)	कार्यालय का नाम	जनपद	वेतनमान

संलग्नकों की संख्या :
स्थान :
दिनांक :

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)
(पता, पिनकोड एवं मो0 नम्बर सहित)

(अग्रसारण अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
(मुहर सहित)

राज्य परियोजना निदेशक

COURT NOTICE
IN THE COURT OF
DR. SAVITRI JUDGE FAMILY COURT-02, SHAHDARA DISTRICT, KARKARDOOMA COURTS, DELHI, COURT NO. 50.
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5. Rules 20 of the Code of Civil Procedures)
CS HMA/45/2025
Petitioner/Applicant
PANKAJ KUMAR UPADHYAY
against
Respondent/ Non-Applicant:
BABUSHA
D/O SH. BHARAT BHUSHAN MISHRA
R/O D-105, L.D., ADS COLONY ANSHIK NAINI, ALLAHABAD (PRAYAGRAJ), UTTAR PRADESH-211008.
TO,
THE RESPONDENT ABOVE NAMED
WHEREAS you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 19 day of MAY, 2026, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of this Court, this day of 18th February, 2026.
JUDGE FAMILY COURT-02,
SHAHDARA DISTRICT,
KARKARDOOMA COURTS, DELHI